



जन आयुष संस्थान, भारत

www.janayushsansthan.org



Community Medical Service & Essential Drugs

प्रस्तावना

विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना “Health For All” इसे ‘Alma Ata Announcement’ 1978 कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारियों, सभी वैकल्पिक पद्धति के चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिए C.M.S. कोर्स का प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को 18 माह का आवश्यक औषधि प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। आवश्यक औषधि पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित 42 एलोपैथिक औषधियों की प्रैक्टिस सकते हैं।

कैरियर

- इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात यदि आप भारत के किसी भी राज्य में निर्धारित एलोपैथिक मेडिसिन से प्राथमिक उपचार करते हैं तो भारत की केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा कोई भी शासकीय अधिकारी आपको प्रतिबंधित नहीं कर सकता है।
- CMS कोर्स भारत के प्रत्येक राज्य में प्राथमिक उपचार हेतु मान्य है। तथा यह कोर्स पूर्ण करने के पश्चात छात्र स्वयं मान्यता प्राप्त क्लिनिक चला सकते हैं।
- इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात डाक्टर सामान्य बिमारियों में निर्धारित दवाओं का सुझाव दे सकते हैं।
- इस प्रकार आप भी विधिवत रूप से समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं।





जन आयुष संस्थान

www.janayushsansthan.org

CMS & ED Course में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र

CMS-ED Course की पात्रता: इण्टरमीडिएट(Bio) अथवा समकक्ष अवधि –18 माह

Online प्रवेश प्रक्रिया

सर्वप्रथम हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.janayushsansthan.org पर जाएँ।

जहाँ पर आपको नीचे दिये समस्त प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी.

i. आधार, निर्वाचन कार्ड अथवा पासपोर्ट .

ii. हाईस्कूल व इण्टरमीडियट का अंकपत्र व प्रमाण पत्र, आदि.

इन सभी प्रमाण पत्रों को यथा स्थान अपलोड कर दें, समस्त जानकारी वेबसाइट पर भी विस्तार में उपलब्ध है।

Offline प्रवेश प्रक्रिया

1. High School व Intermediate की उत्तीर्ण मार्कशीट की 2 प्रमाणित फोटो कॉपी जमा करें।

2. पासपोर्ट साइज की 4 कलर फोटो।

3. आधार कार्ड की 2-2 प्रमाणित फोटोकॉपी। (Both Side)

4. यदि कोई डिग्री या डिप्लोमा पहले से मौजूद है तो उसकी प्रमाणित फोटोकॉपी 2 प्रतियों में जमा करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित नजदीकी प्रशिक्षण केंद्र पर संपर्क करें।

कोर्स करने का लाभ

विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) के द्वारा रजिस्टर्ड 42 एलोपैथिक दवाओं द्वारा पूरे भारतवर्ष के किसी भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अपने प्राथमरी हेल्थ केयर सेन्टर में प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं।

जिनमें से दवाओं व कुछ बिमारियों की सूची हमने आपको इस पत्रक उपलब्ध करायी हैं। आपको बता दें कि यह सूची किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा का अधिकार नहीं देती, परंतु इसमें अधिकतर होने वाली सामान्य बिमारियों का इलाज किया जा सकता है। जिससे आप अधिक से अधिक लोगों की सहायता भी कर सकेंगे।

सामान्य बिमारियाँ जिनका आप कर सकते हैं इलाज

- | | |
|-----------------------------|---|
| १. Anemia | ९. Malaria |
| २. Breathlessness | १०. Pain |
| ३. Constipation | ११. Pediculosis |
| ४. Contraception | १२. Food Poisoning |
| ५. Cough | १३. Insect Stings |
| ६. Diarrhea | १४. Skin Problem including Allergic Reactions |
| ७. Normal Ear & Eye Problem | १५. Vomiting |
| ८. Fever | १६. Wounds, Burns and Shock, etc. |



42 Allopathic दवाओं की सूची

- ⊖ ANTACID
- ⊖ ANTIHAEMORRHOIDAL
- ⊖ ASPIRIN TABLET
- ⊖ WHIFIELD OINTMENT
- ⊖ BENZYL BENZOATE LOTION
- ⊖ CALAT -NINE LOTION
- ⊖ ACTIVATED CHARCOAL
- ⊖ CHLOROQUINE TABLET
- ⊖ CHLOPHENIRAMINE
- ⊖ CENTRIMIDE & CHLORHEXIDINE
- ⊖ ORAL PILLS
- ⊖ FERROUS SULPHATE
- ⊖ FOLIC ACID
- ⊖ GENTION VIOLET SOLUTION
- ⊖ GLYCERINE SUPPOSITORY
- ⊖ IODISED SALT
- ⊖ LYSOL SOLUTION
- ⊖ MAGNESIUM TRISILICATE/
ALURN. HUDROXIDE
- ⊖ MEBENDOZOL TABLET
- ⊖ ORAL REHYDRATION SALT
- ⊖ PARACETAMOL TABLETS &
SYRUP
- ⊖ PHENOXYMENTHYL PENCILIN TAB-
LET / AMOXACILIN / AMPICILIN
- ⊖ VITAMIN A
- ⊖ VITAMIN C
- ⊖ SIMPLE COUGH CINCTUS
- ⊖ TETRACYCLINE EYE OINTMENT
- ⊖ VITAMIN ATROPINE
- ⊖ EPHIDRIENE
- ⊖ ERGOMETRINE
- ⊖ PROVIDONE - IODINE
- ⊖ LINDANE
- ⊖ PIPERAZINE
- ⊖ CODIENE
- ⊖ CO - TRIMAZOLE
- ⊖ ISPAGHULA
- ⊖ METRONIDAZOLA
- ⊖ PRIMAQUINE
- ⊖ SODIUM BICARBONATE
(BAKING SODA)
- ⊖ SENNA
- ⊖ SULPHADIMIDINE
- ⊖ VITAMIN B COMPLEX
- ⊖ VITAMIN D



पाठ्यक्रम का विवरण

यह कोर्स 18 माह (1^{1/2} वर्षीय) पाठ्यक्रम है जिसमें विश्वस्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए शासन से मान्यता प्राप्त एलोपैथिक की लगभग 42 जनरल मेडिसिन का अध्ययन क्वालीफाईड डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है। इसमें आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाकर प्राइमरी हैल्थ वर्कर के रूप में चिकित्सा कार्य कर समाज की सेवा कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा कार्य करने हेतु अभी तक न तो राज्य शासन से कोई रोक टोक है और ना ही केन्द्रीय शासन से।

आप शासन मान्य एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S) डॉक्टरों की तरह इस डिप्लोमा से कार्य नहीं कर सकते हैं। इस तरह का कोर्स किसी भी सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता है। क्योंकि न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि वो चिकित्सक जिस चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षित है वह उसी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा कार्य करें। और यदि वह चिकित्सक दूसरी चिकित्सा पद्धति से कार्य करते हैं तो वे झोलाछाप चिकित्सक माने जायेंगे।

यदि आप अपमानित होने से बचना चाहते हैं। शासन द्वारा दंड नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप C.M.S. & E.D. का कोर्स कर लें। क्योंकि अब इतना समय बीत जाने के पश्चात शासन से मान्यता प्राप्त कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन का कोर्स नहीं कर सकते हैं, और न ही आप P.M.T. की परीक्षा पास कर 5^{1/2} वर्षीय एम.बी.बी.एस. कोर्स कर सकते हैं।

यदि एलोपैथिक मेडिसिन से प्रैक्टिस करना है तो आपके पास कुछ न कुछ आधार तो चाहिए ही। शासन का न सही तो शासन से मान्यता प्राप्त संस्था का ही सही। अब आपके लिए बचाव का यही एक आखरी रास्ता बन सकता है क्या सही है क्या सही रहेगा आप स्वयं विचार कर लें। एक सुनहरा व अंतिम मौका आपको प्राप्त हो रहा है। इसे अपने हाथ से ना जाने दे अन्यथा आपको बाद में पछताना होगा। यदि आपको हमारी बातें पसंद आए तो हम आपके सदा सहयोगी रहेंगे।

प्रवेश प्राप्त करें

जन आयुष संस्थान द्वारा संचालित यह कोर्स करने के लिए संस्थान कि आधिकारिक वेबसाइट (www.janayushsansthan.org) के माध्यम से आवेदन करें।

(49)

Phone 23232618, 23235178, 23236081
 23232618, 23235178, 23236081
 Telegrams MEDCONCIND, New Delhi-2
 19
 Fax 0091-11-23236044
 E-mail mci@delhi.vsnl.net.in
 contact@mcindia.org
 Website www.mcindia.org



प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों के
 चिकित्सा अधिकारियों के सम्बन्ध में
 नई दिल्ली-110 002
 A/Man-E-Galib Marg, Kirti Road
 Opp. Mansa Sankar College for Women
 New Delhi-110002

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

Date 21/11/04

No. MCI-203(1)/2004-Regn./10793

Dr. K. Sarkar
 Secretary

Nikhil Bangiya Vidyapeeth,
 HBMCH-Prafulla Nagar - 743268,
 (Near 2 No. Rail Gate),
 24, Parganas (North), West Bengal.

Subject: Permission / Recognition of Para-medical & CMS & ED
 Certificate & Diploma Courses.

Sir,

With reference to your letter NO. NBV IIAB 13X/04, dated 8.10.2004, on the subject noted above, this is to inform you that Para-medical & CMS & ED Courses do not come under the purview of Medical Council of India, New Delhi. As such, permission of the MCI is not required for starting / running Para-medical & CMS & ED Courses in MCI as on date.

Yours faithfully

(JAGTAR SINGH)
 ASSISTANT SECRETARY

NIKHIL BANGIYA VIDYAPEETH
 36, Panna Avenue, Kolkata-91

(46)

WORLD HEALTH ORGANISATION
 REGIONAL OFFICE FOR SOUTH-EAST ASIA



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
 BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST

Tel.: 331 7804 to 331 7823
 Fax: (91) 11 331 8607 and (91) 11 332 7972

Dr. Misal N.N.

President
 Maharashtra Council of Alternative
 System of Medicines
 A/P : Chas, Nagar-Poona Road,
 Tal : Nagar, Dist : Ahmednagar
 M.S. (India) 414005

In reply please refer to- T18/27/1 IND
 Priere de rappeler la reference.

MEMORANDUM

From : Secretary of the
 Expert Committee on
 the Selection and
 Use of Essential
 Medicines

To : RD, SEARO attn :
 Dr. K. Weerasuriya
 EDM

Date : 11 Nov. 1996

Our ref : T18/27/INDIA

Attention :

Your ref : 29/96

Through :

Originator : Dr. KIN SHEIN

Subject : ESSENTIAL DRUGS FOR PRIMARY HEALTH CARE

We have received a self-explanatory letter from Dr. N.N. Misal (copy attached for easy reference). It seems that some of the medicines listed in 1992 SEARO book "Essential drugs for primary health care" are indeed not on the WHO Model List of Essential Medicines. As we would like WHO's technical advice on the selection of Medicines to be as consistent as possible, we would like to suggest that these discrepancies be looked into with the aim to define whether the manual may need to be updated. On the other hand, if SEARO would like to maintain some of these medicines in the manual, we would of course welcome applications for their inclusion in the 14 th Model List.

Dr. Kin Shein
 Regional Adviser
 Essential Drugs and Vaccines
 For Regional Director

cc : WR, India-Dr. N.N. Misal
 A/Post. Chas, Nagar-Poona Road,
 Tal./Dist. Ahmednagar 414005

World Health House : NEW DELHI : 1.10.002, India Teleg. : WHO NEW DELHI Telex : 65031 - 65095
 World Health House : New DELHI : 1.10.002, India Teleg. : WHO NEW DELHI Teleg. : 65031 - 65095

Police Ahimagan Layout 1, 2/29/2021, 3:34 PM Page 8 of 11

पुलिख प्रतिज्ञा
 अस्कारंज, 1 जूलाई 2021

चिकित्सा जगत

Rx 8

उच्च न्यायालय ने डिप्लोमा CMS & ED रजिस्टर्ड चिकित्सकों को नैदानिक स्थापना अधिनियम-2010 के तहत रजिस्ट्रेशन करने के दिये आदेश

मुम्बई न्यायालय

लखनऊ: पेशवेडिकल फेकल्टी ऑफ इण्डिया के चेयरमैन डॉ। ईश्वर सहाय शर्मा 'गुरुजी' के अध्यक्ष से CMS & ED उत्तीर्ण एवं रजिस्टर्ड आठ चिकित्सकों में (अजीत सिंह, सत्येन्द्र सिंह, अनिल कुमार, हेमंत कुमार, जय प्रकाश, मनोज कुमार, राजेश कुमार, अमर नाथ) ने एक सामूहिक रिट याचिका मा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में दाखिल की। जिसमें सचिव मेडिकल हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, निदेशक मेडिकल हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर लखनऊ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

वारंबंको व मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच को पार्टी बनाया गया है। जिसमें मा। उच्च न्यायालय ने CMS & ED डिप्लोमा के आधार पर नैदानिक स्थापना अधिनियम-2010 के तहत रजिस्ट्रेशन करने के आदेश पारित किया है।

यहां बताते चले कि विद्वान अधिवक्ता आर.के.सिंह ने रिट याचिका में कहा गया है कि प्राथीगणों ने डिप्लोमा CMS & ED परीक्षा पर मेडिकल फेकल्टी ऑफ इण्डिया से उत्तीर्ण की है। जिसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया है। उक्त CMS & ED डिप्लोमा कोर्स प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु अर्ह हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। नैदानिक

स्थापना अधिनियम-2010 के तहत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु सोएमओ के समक्ष पंजीयन करना अनिवार्य है। जबकि CMS & ED डिप्लोमा धारकों का पंजीयन अन्य जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर व श्रावस्ती द्वारा नैदानिक स्थापना अधिनियम-2010 के तहत किये गये हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय चिकित्सा प्रशासन द्वारा प्राथीगणों को उपरोक्त डिप्लोमा CMS & ED के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न किया गया। जबकि मा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील सं०-152/1994 सुभाष बकशी बनाम वेस्ट बंगाल मेडिकल

कार्सिल व अन्य के केस में निर्णय दिनांक 11.02.2003 के द्वारा CMS & ED डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु अर्ह मानते हुये पंजीयन करने का आदेश पारित किया गया। उक्त क्रम में CMS & ED डिप्लोमा धारक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ जनता को प्रदान कर रहे हैं। प्राथीगणों का पंजीयन न किये जाने व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में अवरोध उत्पन्न होने से क्षुब्ध होकर प्राथीगण CMS & ED डिप्लोमा धारकों ने उपरोक्त रिट याचिका मा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ में दाखिल की, जिसकी सुनवाई के उपरान्त मा। उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.06.2021

के द्वारा निर्देशित किया कि प्राथीगण अपना-अपना प्रत्यावेदन आदेश/निर्णय की प्रतिनिधि को साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। ताकि CMS & ED डिप्लोमा धारकों के नैदानिक स्थापना अधिनियम-2010 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे अवरोध को रोकने हेतु रजिस्ट्रेशन किया जा सके। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2021 के अनुपालन में CMS & ED डिप्लोमा के आधार पर नैदानिक स्थापना अधिनियम-2010 के तहत रजिस्ट्रेशन करने की मुठ चिकित्सा अधिकारी से मांग के

मुख्य चिकित्सा अधिकारि (CMO) द्वारा जारी CERTIFICATE

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद- अमेठी
उत्तर प्रदेश



महोदय,

कृपया मेरी क्लीनिक/चिकित्सा प्रतिष्ठान जिसका विवरण निम्नवत् है का पंजीकरण करने का कष्ट करें :-

1- चिकित्सा प्रतिष्ठान का प्रकार :-

अ- चिकित्सा नर्सिंग होम, मेटर्निटी होम, मेडिकल क्लीनिक
निजी चिकित्सक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु,
पैथालॉजी प्रयोगशाला डायग्नोस्टिक क्लीनिक

ब- अधिष्ठान व्यक्तिगत अथवा फार्म सोसाइटी ट्रस्ट प्राइवेट लि0
या पब्लिक लि0 कम्पनी द्वारा संचालित

2- प्रतिष्ठान का पता :- जन आयुष क्लीनिक
रानी गंगा नगीरा बाग अमेठी

3- प्रदत्त चिकित्सा सेवाएं :- प्रथमिक चिकित्सा

4- पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सक/चिकित्सकों का विवरण

(जो कार्यरत/नियुक्त लगाये हुए हैं) www.janayushsansthan.org

क्र0सं0	नाम	योग्यता	संस्था पंजीकरण	सं0 पंजीकरण सं0
	<u>PRA DEEP SHARMA</u>	<u>CMS&ED</u>	<u>जन आयुष संस्थान</u>	<u>2AS/CMS/2021</u>

5- कार्यरत पैरामेडिकल के नाम :-

क्र0सं0	नाम	योग्यता	संस्थान

संलग्न :-

- योग्यता, डिग्री डिप्लोमा व पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रतियां।
- मेडिकल संस्थान को संचालित करने वाले अथवा संस्थान के प्रभारी का समर्थन में नोटरी द्वारा सत्यापित राज्य पत्र

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर
(चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थान के प्रभारी)
नाम :- PRADEEP SHARMA
पता :- रानी गंगा नगीरा बाग अमेठी

नोट :-

- समस्त उपरोक्त आवेदन-पत्र पूर्ण विवरण, प्रमाण पत्रों एवं रूपरेखा-पत्र सहित सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँअथवा उसके पूर्व दो प्रतियां में प्राप्त कराये जायेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक प्रति रजिस्ट्रेशन संख्या अंकन करके अधिकृत एवं पंजीकृत चिकित्सक को/संस्थान के प्रभारी को हस्ताक्षर व मुहर लगाकर आवेदक को वापस करेंगे।
- प्रतिष्ठान में वृद्धि अथवा परिवर्तन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 30 दिन के अन्दर सूचित की जायेगी तथा पंजीकृत का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व कराया जायेगा।
- भविष्य में जो भी चिकित्सक राज्य में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना चाहेंगे उन्हें उपरोक्त प्रारूप पर जहाँ उन्हें सेवाएं



कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी, अयोध्या।

पंजीकरण संख्या- CMS/AME/2020/21 दिनांक 2/09/21

वैधता तिथि 2/09/21 से 31/08/22

चिकित्सा पद्धति प्रथमिक चिकित्सा (पारंपरिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/युनानी/नेचुरल पैथिक)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2/09/21

मुख्य चिकित्सा अधिकारि (CMO) द्वारा जारी CERTIFICATE

पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र (प्रारूप)
(समस्त अधिकृत चिकित्सकों एवं प्रतिष्ठानों)



सेवा में
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद- अयोध्या
उत्तर प्रदेश

महोदय,

कृपया मेरी क्लिनिक/चिकित्सा प्रतिष्ठान जिसका विवरण निम्नवत् है का पंजीकरण करने का कष्ट करें :-

1. चिकित्सा प्रतिष्ठान का प्रकार :-

अ- चिकित्सा नर्सिंग होम, मेटर्नटी होम, मेडिकल क्लिनिक
निजी चिकित्सक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु
पैथालॉजी प्रयोगशाला डायग्नोस्टिक क्लिनिक

ब- अधिष्ठान व्यक्तिगत अथवा फर्म सोसाइटी ट्रस्ट प्राइवेट लि
या पब्लिक लिड कम्पनी द्वारा संचालित

2- प्रतिष्ठान का पता :- जन आयुष संस्थान

3- प्रदत्त चिकित्सा सेवाएं :- शाह गंज वाजार निकट पुलिस चौकी शाह गंज अयोध्या
पुनर्गठित चिकित्सा

4- पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सक/चिकित्सकों का विवरण
(जो कार्यरत/नियुक्त लगाये हुए हैं)

www.janayushsansthan.org

क्र०सं०	नाम	योग्यता	संस्था पंजीकरण	सं० पंजीकरण सं०
	<u>राज शंकर शिखर</u>	<u>C.M.S. JED</u>	<u>जन आयुष संस्थान</u>	<u>JAS/CMS/2009</u>

5- कार्यरत पैरामेडिकल के नाम :-

क्र०सं०	नाम	योग्यता	संस्थान

संलग्न :-

1. योग्यता, डिग्री डिप्लोमा व पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रतियां।

2. मेडिकल संस्थान को संचालित करने वाले अथवा संस्थान के प्रभारी का समर्थन में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र
आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक -

(चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले/चिकित्सा संस्थान के प्रभारी)
नाम :-
पता:-

नोट :-

- समस्त उपरोक्त आवेदन-पत्र पूर्ण विवरण, प्रमाण पत्रों एवं शपथ-पत्र सहित सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँअथवा उसके पूर्व दो प्रतियों में प्राप्त कराये जायेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक प्रति रजिस्ट्रेशन संख्या अंकन करके अधिकृत एवं पंजीकृत चिकित्सक को/संस्थान के प्रभारी को हस्ताक्षर व मुहर लगाकर आवेदक को वापस करेंगे।
- प्रतिष्ठान में वृद्धि अथवा परिवर्तन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 30 दिन के अन्दर सूचित की जायेगी तथा पंजीकृत का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व कराया जायेगा।
- भविष्य में जो भी चिकित्सक राज्य में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना चाहेंगे उन्हें उपरोक्त प्रारूप पर जहाँ उन्हें सेवाएं



कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी, अयोध्या।

पंजीकरण संख्या- CMS/AY/2020/21/010 दिनांक 23/08/21

वैधता तिथि 23/08/21 से 31/3/22

चिकित्सा पद्धति CMS/ED (एलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/युनानी/नेचुरल पैथिक)

मुख्य चिकित्सक/युनानी अधिकारी
अयोध्या
(Signature)



जन आयुष संस्थान

An ISO 9001:2015 Promoting AYUSH and Primary Health Care
Under Govt. Regulations & WHO Guidelines



A — Ayurveda

Y — Yoga

U — Unani

S — Siddha

H — Homoeopathy

CMS - ED

कोर्स करने के लिए सम्पर्क
करें-

8429700433

CMS-ED

अब न कहलायें झोलाछाप, करें कोर्स हो जायें मान्यता प्राप्त



एक कदम स्वच्छता की ओर



Contact Us

+91-8429700433

website: www.janayushsansthan.org



E-m@il Id: janayushsansthan@gmail.com



<https://www.facebook.com/janayushsansthan>